प्रधान महालेखाकार (ले0&ह0) का कार्यालय बीरचंद पटेल पथ, पटना, बिहार - 800001		OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E), BIRCHAND PATEL PATH PATNA, BIHAR - 800001

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

का.आ.सं./O.O.No. हिं.अ./ले.व हक./10/पु.योजना/26-27/बी- 73
दिनांक / Date 14.07.2026

कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER

विषय :- वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए हिंदी प्रोत्साहन योजना ।

Subject :- Hindi Incentive Scheme for the financial year 2025-26

एतद्द्वारा इस कार्यालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि राजभाषा विभाग के दिशानिर्देश के अनुसार सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने हेतु प्रोत्साहन पुरस्कार दिये जाने का प्रावधान है। इस अलोक में, वर्ष 2025-26 के दौरान हिंदी में अधिकाधिक कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुरस्कृत करने की योजना है। इस योजना के तहत वैसे अधिकारी/कर्मचारी ही पुरस्कृत होने के पात्र होंगे, जिन्होंने वर्ष 2025-26 के दौरान सरकारी कामकाज में न्यूनतम 20 (बीस) हजार शब्द मूल रूप से हिंदी में लिखा/टंकित किया है। शब्दों की संख्या के साथ-साथ कार्य की गुणवत्ता का भी आकलन किया जाएगा। 'निरीक्षण दल/समिति' द्वारा पुरस्कार हेतु चयन विहित प्रावधानों के अनुसार ही किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत टिप्पण/आलेखन मूलतः हिंदी में करने के लिए प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि निम्नलिखित हैं :-

All the officers/Employees of this office are hereby informed that according to the guidelines of Official Language Department, there is a provision of incentive award for doing official work in Hindi. In light of this, employees doing maximum work in Hindi during the year 2025-26 will be rewarded under the scheme. Under this scheme, only those officers/employees will be eligible to be rewarded, who have done official work by originally writing/typing at least 20 (twenty) thousand words in Hindi during the year 2025-26. The quality of work shall also be taken into account along with number of words. Selection for the award by the 'Inspection Team/Committee' will be done only as per the prescribed provisions. The amount of incentive to be provided for noting/drafting originally in Hindi under the scheme are as follows:-

प्रथम पुरस्कार (02 पुरस्कार) : प्रत्येक रु 5,000/-

द्वितीय पुरस्कार (03 पुरस्कार) : प्रत्येक रु 3,000/-

तृतीय पुरस्कार (05 पुरस्कार) : प्रत्येक रु 2,000/-

अतः सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध किया जाता है कि यदि उन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कम से कम 20 (बीस) हजार शब्द लिखे/टंकित किए हों तथा सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी का अधिकाधिक उपयोग एवं उत्कृष्ट शैली का प्रयोग किया हो, तो योजना में भाग लेने हेतु अपना नाम संलग्न प्रोफॉर्मा में भरकर एवं अपने संबंधित वरिष्ठ लेखा अधिकारी से अनुशंसित कराकर दिनांक 21.07.2026 तक हिंदी अनुभाग को उपलब्ध कराएं। विदित हो कि नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

Therefore, all officers/employees are requested to forward their name to the Hindi section by 21.07.2026 in the attached proforma duly recommended by their respective Senior Accounts Officer for participation in the scheme, if they have written/typed at least 20 (twenty) thousand words during the financial year 2025-26, and have used the official language Hindi as much as possible and in excellent style in official work. It may be noted that applications received after the due date will not be considered.

संलग्नक :- यथोक्त।
Enclosure:- As Above.

हस्ता./-
वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशासन)

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) का सचिवालय।
2. सभी वरिष्ठ उप उपमहालेखाकार/ उपमहालेखाकार का सचिवालय।
3. सभी वरिष्ठ लेखा अधिकारी।
4. डाटा मैनेजर, आई.टी.एस.- इस आदेश की प्रति को कार्यालय के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

सुनील कुमार
सहायक निदेशक (राजभाषा)

हिंदी पुरस्कार योजना प्रपत्र- 2025-26

1. आवेदक का पूरा नाम :- ....

2. पदनाम :- ....

3. अनुभाग :- ....

4. आवेदक द्वारा हिंदी में लिखित/टंकित शब्द संख्या :- ....

5. आवेदक का हस्ताक्षर एवं तिथि :- ....

अनुशंसक का हस्ताक्षर :- ....

(वरिष्ठ लेखा अधिकारी)

अनुशंसक का नाम :- ....

तिथि :- ....

(नोट :- सभी आवेदक, जो हिंदी पुरस्कार योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वे दिनांक 21.07.2026 तक इस प्रोफॉर्मा को विधिवत रूप से भरकर अपने वरिष्ठ लेखा अधिकारी से अनुशंसित कराते हुए हिंदी अनुभाग को उपलब्ध कराएं। साथ हीं अपने द्वारा संपादित/टंकित हिंदी कार्य से संबंधित संचिकाएँ आदि निरीक्षण दल द्वारा जांच के दौरान उपलब्ध कराएं।)